

कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाडा

दिनांक-5-2023

क्रमांक : एफ () एफसीए / उवस / 22-23 / 2558
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर

विषय:- : Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-
Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan)

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में ई.डी.एस
दिनांक के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है:-

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनमण्डल भीलवाडा में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 0.8676
हैक्टर के समतुल्य गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु राशि की मांग वनमण्डल भीलवाडा
द्वारा प्रस्तावित की गयी है। गैर वन भूमि का आवंटन वनमण्डल बूंदी में किया जाना
प्रस्तावित है। यदि वनमण्डल बूंदी द्वारा प्रत्यावर्तित होने वाली कुल भूमि 4.9975 हैक्टर
के समतुल्य गैर वनभूमि वृक्षारोपण राशि की मांग की जावेगी तो वनमण्डल भीलवाडा
द्वारा उक्त राशि की मांग नहीं की जावेगी। प्रकरण में यूजर एजेन्सी एक ही होने से
कुल वन भूमि 4.9975 हेतु राशि की मांग ही लिया जाना प्रस्तावित है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(हॉफ) राज.जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-16(सरक्यूलर)
2005/एफसीए/प्रमुवसं/पार्ट वी/1899-2025 दिनांक 26.0.2021 द्वारा जारी
निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

संलग्न: उक्तानुसार

भवदीय
(वीर सिंह)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा

Deputy Conservator of Forest, Bhilwara (Rajasthan)
DETAILS OF AMOUNT OF NPV TO BE DEPOSITED

Full Title of the Project: Laying of Pipe Line Hindoli-Nainwa Water Supply Project District-Bundi From Chambal-Bhilwara WSP (PHASE-I) District -Bundi (Rajasthan)

File No. : FP/RJ/WATER/154215/2022

Proposed Forest Land Under Bhilwara Division: 0.8676 ha.

Date of Proposal : 04-07-2022

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कर एवं कार्य स्थल के निरीक्षण उपरांत संतुष्टि पूर्वक सुनिश्चित कर लिया गया है कि :-

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित प्रकरण में सम्मिलित समस्त वन भूमि एवं डीम्ड वन क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया गया है एवं प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मानचित्र में अंकित सीमाएं सही हैं।
2. यह है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि प्रस्तावित गैर वन कार्य के लिए पूर्णतः उपलब्ध है एवं उसमें किसी अन्य प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।
3. प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के पूर्ण विवेचन एवं प्रस्तावित स्थल के विस्तृत निरीक्षण उपरांत प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य से होने वाले सम्भावित वन , वन्यजीव, जैव विविधता, एवं स्थानीय पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभाव का आंकलन कर लिया गया है एवं इसके निवारण के आवश्यक उपाय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा पत्र में सम्मिलित कर लिए गए हैं।
4. यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित कोई वाद सिविल अथवा उपराधिक किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है और संदर्भित भूमि से संबंधित समस्त न्यायालयों के आदेशों की पालना सुनिश्चित कर ली गयी है।

Place : Bhilwara
Date : 01-05-2023


(वीर सिंह)
उप वन संरक्षक
भिलवाड़ा